

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्टट्रैक) श्रीगंगानगर
पीठासीन अधिकारी- स्वाति गुप्ता, आर.ए.एस.

-संशोधित आदेश-

दिनांक :- 21.11.2025

दलीप कुमार

बनाम

बगड़ावत राम व अन्य

वाद संख्या 063/2024

निर्णय दिनांक 27.10.2025

अन्तर्गत धारा 88, 188, 92ए, 209 राज. काश्तकारी अधिनियम

प्रार्थी/वादी द्वारा जरिये अधिवक्ता एक प्रार्थना पत्र दिनांक 20.11.2025 पेश कर निवेदन किया है कि उक्त अनवानी प्रकरण में न्यायालय द्वारा दिनांक 27.10.2025 को निर्णय किया गया जिसमें वादी के पिता का नाम बगड़ावत राम के स्थान पर बगावत राम व जाति सुथार के स्थान पर सुधार हो गया है जो कि लिपिकीय त्रुटिवश हो गया जिस कारण वादी को राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद करवाने में परेशानी का सामना करना पड रहा है। अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 152 सीपीसी पेश कर श्रीमान् जी से अर्ज है कि जो नाम व जाति लिपिकीय त्रुटिवश गलत अंकित की जा चुकी है उसको दुरुस्त कर सही नाम व जाति अंकित किये जाने के आदेश दिये जावे।

अधिवक्ता वादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 152 सीपीसी पर मनन किया गया एवं पत्रावली व न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 27.10.2025 का अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन पाया गया कि न्यायालय हाजा द्वारा दिनांक 27.10.2025 को निर्णय जारी किया गया था उक्त निर्णय के शीर्षक में वादी के पिता का नाम बगड़ावत के स्थान पर संहवन से बगावत तथा जाति सुथार के स्थान पर सुधार तथा इसी प्रकार प्रतिवादी संख्या 01 की जाति सुथार के स्थान पर सुधार अंकित हो गया था। अतः निर्णय दिनांक 27.10.2025 को संशोधित कर आदेश जारी किया जाता है कि वादी के पिता का नाम बगावत के स्थान पर बगड़ावत व जाति सुधार के स्थान पर सुथार तथा इसी प्रकार प्रतिवादी संख्या 01 की जाति सुधार के स्थान पर सुथार पढा जावे।

संशोधित आदेश मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रा से आज दिनांक 21 नवम्बर 2025 को जारी किया गया।

स्वाति गुप्ता
R.A.S.
सहायक कलक्टर एवं
कार्यापालक दण्डनायक
(फास्ट ट्रेक) श्रीगंगानगर



संशोधित डिकी
(ORDER 20 RULE 6-7 CPC)

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक), श्रीगंगानगर
पीठासीन अधिकारी- श्रीमती स्वाति गुप्ता, आर.ए.एस.

वादपत्र संख्या 2024/063
अन्तर्गत धारा 88, 188, 92ए, 209 राज. काश्तकारी अधिनियम

1. दलीप कुमार पुत्र बगड़ावत राम जाति सुथार निवासी रोहिडावाली तहसील व जिला श्रीगंगानगर हाल निवासी वरयाम नगर गली नम्बर- 1 अबोहर जिला फाजिल्का (पंजाब)वादी

बनाम

1. बगड़ावत राम पुत्र श्री बीरबल राम जाति सुथार निवासी कोयलखेड़ा तहसील अबोहर जिला फाजिल्का (पंजाब)
भंवर लाल पुत्र श्री बगड़ावत राम जाति सुथार निवासी कोयलखेड़ा तहसील अबोहर जिला फाजिल्का (पंजाब)
3. सुरेश कुमार पुत्र श्री बगड़ावत राम जाति सुथार निवासी कोयलखेड़ा तहसील अबोहर जिला फाजिल्का (पंजाब)
अलोचना पुत्री श्री बगड़ावत राम पत्नी ख्याली राम जाति सुथार निवासी कबूलशाह तहसील व जिला फाजिल्का (पंजाब)
5. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार श्रीगंगानगर।प्रतिवादीगण

उपस्थित - श्री बलराम सुथार
श्री राकेश कुमार
श्री राज पैरोकार

(वादी)
(प्रतिवादीगण)
(प्रतिवादी 05)

दिनांक:- 21.11.2025

वादपत्र संख्या 2024/007
अन्तर्गत धारा 88, 188, 92ए, 209 राज. काश्तकारी अधिनियम

प्रकरण में न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक), श्रीगंगानगर द्वारा वादी अधिवक्ता श्री बलराम सुथार, प्रतिवादीगण के अधिवक्ता श्री राकेश कुमार, तथा पैरोकार राज प्रतिवादी-05 की उपस्थिति में आदेश दिया जाता है कि-
अतः वाद वादीगण स्वीकार किया जाकर वादी को कृषि भूमि वाका चक 2 पी बड़ी पटवार हल्का रोहिडावाली तहसील श्रीगंगानगर के खाता संख्या-27/22 मुरब्बा नम्बर-17 व मुरब्बा नम्बर-72/4 की कुल 3.022 हैक्टेयर कृषि भूमि का खातेदार खातेदार घोषित किया जाता है-

रूपये ...शून्य ...वास्ते...शून्य.खर्चा इस प्रकरण पर हुये व्यय मय ब्याज..शून्य.....
दर वार्षिक ..शून्यआज की तिथि से वसूली दिवस तक अदा करें
मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से आज दिनांक 21.11.2025 को जारी की गयी.

स्वाति गुप्ता
(आर.ए.एस.)

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
कार्यालय न्यायालय
(फास्ट ट्रेक) श्रीगंगानगर



वादी	राशि (00.00)	प्रतिवादी	राशि (00.00)
स्टाम्प वादपत्र	00.00	स्टाम्प वकालतनाम	00.00
स्टाम्प वकालतनाम	00.00	स्टाम्प आवेदनपत्र	00.00
स्टाम्प अभिलेखीय साक्ष्य	00.00	वकील शुल्क	00.00
वकील शुल्क	00.00	व्यय साक्षीगण	00.00
व्यय साक्षीगण	00.00	आयुक्त शुल्क	00.00
आयुक्त शुल्क	00.00	व्यय इजराय	00.00
कुल	00.00	कुल	00.00

स्वाति गुप्ता
(आर.ए.एस.)
सहायक कलेक्टर (फास्ट ट्रेक)
कार्यश्रीगंगानगर
(फास्ट ट्रेक) श्रीगंगानगर